International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

पेपर मिल्स में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन म.प्र. के विषेष संदर्भ में।

अजय कुमार पटेल[1], डॉ. धीरेन्द्र ओझा[2], जयकांत गुप्ता[3]

[1]Research Scholar, AKS University Satna (M.P.)
[2]Associate professor & HOD, Commerce, AKS University Satna (M.P.)
[3]Assistant Professor (Commerce), Indira Gandhi Home science girls PG college, shahdol

सारांश

म.प्र. में श्रमिकों की स्थिति सामान है। ये किसी भी संगठित और निजी संस्थाओं में देखने को मिल सकती है। म.प्र. में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर दो ही पेपर मिल्स कार्यरत् हैं। इन्हीं मिलों में कार्य करने वाले तिहाड़ी असंगठित श्रमिक एवं अनुबंध आधारित श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन कर विषय विषय को जानने की कोशिश है। अगर हम म.प्र. में श्रमिकों का पंजीयन देखें तो लगभग 1 लाख 80 हजार के आसपास है जो किसी न किसी संस्था में कार्यरत् है। वहीं अगर भारतवर्ष में श्रमिकों की संख्या का अध्ययन करें तो भारत की कुल आबादी का लगभग 42 प्रतिशत से 45 प्रतिषत श्रमिकों की संख्या है। भारत में श्रम बाजार विषाल है अनौपचारिक और असंगठित प्रकृति के उद्यमों और प्रतिष्ठानों में श्रमिक काम करते है। इसमें तिहाड़ी श्रमिक भी शामिल है। जिन्हे निजीकरण और उदारीकरण के समय में परिवर्तन किया गया है। श्रम बाजार के परिपेक्ष्य नए है, परंतु उनके शोषण की स्थिति में परिवर्तन ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसी कारण आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होन पर भी श्रमिकों स्थिति में ज्यादा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ।

शोधकर्ताओं द्वारा पेपर मिल्स में कार्य करने वाले श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का ही शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें ओरिएंट पेपर मिल अमलई (शहडोल) एवं अखबारी कागज मिल नेपानगर (बुरहानपुर) के द्वितीय आंकड़ों की जानकारी के आधार पर श्रम शोषण की स्थितियों का विष्लेषण किया गया है। तिहाड़ी कमजोर सामाजिक वर्ग के मजदूर अधिक पीड़ित है। स्थानीय ओरिएंट पेपर मिल के श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति के लिए अनुबंध आधारित व्यवस्था एवं दैनिक मजदूरी व्यवस्था उत्तरदायी है।

मुख्य शब्दः अनुबंध आधारित व्यवस्था, असंगठित श्रमिक, असंगठित सामाजिक वर्ग नीति 2008।

प्रस्तावनाः-

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति पर प्रकाश डालना है। शोध का पद्धतिशास्त्र, गुणात्मक तथा स्तरित दैव निदर्शन से पूरा किया गया एवं संदर्भित किया गया है। श्रमिक एक विशुद्ध सामाजिक व्यक्तिगत अवधारणा है। जिसका प्रयोग सामाजिक रूप से जो व्यक्ति उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। श्रमिक शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जिन्हे अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, दुराचार ऊँच-नीच की भावना कार्य की प्रधानता न देना सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना राजनीतिक एवं आर्थिक वचंनाओं और असुविधाओं का लम्बे समय में गुजरना पड़ रहा है। इन्हीं क्रियाओं को श्रमिकों का शोषण वर्तमान समय में पेपर मिल्स में किया जा रहा है।

श्रमिकों का शोषणात्मक स्थिति में उनको प्रताड़ना जैसे कि कम मजदूरी देना, यातनाएं देना ही शामिल नहीं है बल्कि, उनको मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है। जिनसे उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि श्रमिक श्रम बेचता है अपने आपको नहीं, श्रमिक अपना श्रम यानी कौशल आर्थिक लाभ के लिए बेचता है अपने आपको नहीं यानी उसका अपने कौशल पर उसका स्वामित्व रहता है। श्रम शब्द को परिभाषित करते हुए प्रो. मार्शल कहते है कि श्रम का अभिप्राय मानसिक या शारीरिक से लिया जाता है, जो पूर्णतया या आंशिक रूप से आनंद की प्राप्ति के लिए न होकर लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्रमिकों की आजीविका उनकी शारीरिक श्रम पर आधारित होती है। खासतौर पर तिहाड़ी श्रमिको की जिन्हे घण्टों के आधार पर मजदूरी दी जाती है, ऐसे वर्ग को श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है।

हमारे भारतीय संविधान में श्रमिको का विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कुछ जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त है। किन्तु ये आरक्षण का लाभ आज भी सभी वंचित व्यक्ति को शत-प्रतिशत नहीं मिल पा रहा है और न ही सरकार इस पर समीक्षा करती है। आज जिन श्रमिकों के वंशज श्रमिक थे वर्तमान में भी वे श्रमिक का कार्य करने के लिए मजबूर है। इनकी सामाजिक निर्योगिताओं एवं आर्थिक, शैक्षणिक, पिछड़ापन दूर करने तथा इन्हे विशेष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक सुरक्षा प्रदान की गई है। गरीबी, गंदगी, बीमारी और अशिक्षा का शिकार ये वर्ग समाज से बहिष्कृत और नागारिक अधिकारों से वंचित रहा है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार ध्यान दे रही है जिससे इनकी आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

शोषणः-

शोधकर्ता द्वारा पेपर मिल्स में कार्यरत् श्रमिकों का शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन शोध पत्र में किया गया है। शोषण का तात्पर्य उन सभी प्रकार के उत्पीड़न से है जो समाज के उच्च एवं सम्पन्न वर्गों से अपना रक्षा कर पाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। सामान्यतः शोषण की श्रेणी में अमानवीय

व्यवहार कार्य को महत्व न देना मजदूरी के लिए परेषान करना, लालफीता -शाही, ऊंच-नींच की भावना, भेदभाव, अन्याय हिंसा संम्बधी, दुर्घटनाएं आदि से है। जिसमें श्रमिकों को मानसिक पीडा़ होती है जिससे उनकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बदल सी जाती है। जिससे श्रमिकों की कार्य करने की क्षमता अवरुद्ध होती है जिसका असर उनके भविष्य पर भी पड़ता है। कभी-कभी तो श्रमिक वर्ग इतने शोषित होते हैं कि ये आत्मघाती कदम उठा लेते हैं एवं इनकी मौत भी हो जाती है।

शोषण निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग के विरुद्ध उच्च एवं सम्पन्न वर्गों द्वारा अस्पृष्यता के भेदभाव सहित किये गये 27 प्रकार के अपराधों कों सम्मिलित किया गया है। ऐसे सभी शोषण जिनको जिला श्रम कल्याण प्रकोष्ठ में भारतीय दण्ड विधान संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955, तथा शोषण निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं। ये सभी शोषण की श्रेणी में आते हैं।

शोध कार्य का उद्देश्यः-

शोधकर्ता द्वारा ''पेपर मिल्स में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन' शोध पत्र में कार्यरत श्रमिकों की शोषण (मानसिक एवं शारीरिक) शोध पत्र में निम्नांकित उद्देश्यों की चर्चा की गई हैं-

- अनुबंध आधारित कार्यरत् श्रमिकों की व्यवहारात्मक स्थिति को जानना।
- मजदूरी भुगतान विधियों में अन्तर की विसंगतियों का अध्ययन करना।
- कार्यरत् श्रमिक कार्यस्थल में क्या स्वतंत्रता के आधार पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
- अनुबंध आधारित कार्यरत् श्रमिकों पर संविधा श्रम नियम - 1970 को लागू किया जाता है कि नहीं इसका भी अध्ययन शोधकर्ता द्वारा किया जाना।
- पेपर मिल्स में असंगठित एवं अनुबंध (ठेकेदारी) कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अघ्ययन करना।
- कार्यरत श्रमिको की कार्य के दौरान समय-सीमा एवं अधिक समय के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है यह जानना।
- पेपर मिल्स में अशिक्षित श्रमिकों के लिए मजदूरी व्यवस्था क्या रहती है, इसको भी अध्ययन करना।
- कार्यरत श्रमिकों को धर्म, जाती, नस्ल, रंग, अमीर-गरीब आदि के आधार पर तो प्रताड़ित नहीं किया जाता है। इसका शोधकर्ता द्वारा अपने अध्ययन में शामिल किया गया है।

शोध पद्धतिः-

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में निम्नांकित शोध विधियों का प्रयोग किया गया है-

- **आंकड़ों का संकलन**- शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय समंको से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है।
- **सर्वेक्षण**- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में श्रमिकों के शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन शोध पत्र में फील्ड सर्वेक्षण का भी प्रयोग किया गया है।
- **साक्षात्कार-** शोधकर्ता ने मिलों में कार्यरत् श्रमिक साक्षात्कार (व्यक्तिगत) का आकडो़ को शामिल किया गया है।
- शोध सें संबंधित प्रश्नावली, अनुसूची, वर्गीकरण, सारणीयन, माध्य आदि का प्रयोग किया गया है ।
- **न्यादर्ष**- शोधकर्ता नें न्यादर्ष के रूप मे लगभग 300 श्रमिको से आकड़ो का चयन किया गया ।
- शोध कार्य से संबंधित शोधकर्ता ने शोध के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।
- **शोध की सीमाएँ**- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में कार्यरत अनुबंध आधारित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिको को ही अपने शोध कार्य मे सम्मिलित किया हैं।
- आंकड़ों का विश्लेषण- अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय तकनीकियों जैसे- प्रतिशत, माध्य, रेखाचित्र, पाई, आदि का भी प्रयोग किया जायेगा। आंकड़ों के माध्यम से जानते हैं कि पेपर मिल्स में कितने एवं तरह-तरह से शोषण की स्थिति श्रमिक के लिए अपनाई जाती है।

सारणी 1.1

शोषण करने के प्रकार

क्र.	सन्	अधिक समय लेना, मजदूरी कम देना	डरा-धमका कर कार्य लेना	अवकाष के दिनों की मजदूरी न देना/ वेतन कटौती	अमानवीय व्यवहार	भेदभाव, दुराचार	मानसिक प्रताड़ना	कुल
1	2013	28	14	7	11	12	9	81
2	2014	21	10	9	9	7	7	63
3	2015	30	13	9	7	11	6	76
4	2016	25	15	5	6	5	6	62
5	2017	15	15	12	10	5	9	66
6	2018	21	14	13	11	8	10	77
7	2019	16	13	12	10	9	12	72

8	2020	11	10	13	9	9	13	65
9	2021	16	15	12	10	10	11	74
10	2022	35	14	10	11	9	12	91
11	2023	35	13	12	9	9	15	93
कुल		**253**	146	114	103	94	110+	820
प्रतिशत		30.85	17.80	13.90	12.56	11.46	13.41	100

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण

सन् 2013 से 2023 तक शोषण के प्रकार में कुल पीड़ितों द्वारा पंजीबद्ध कराए गए कुल 820 मामलों में 30.85 प्रतिशत मजदूरों के साथ, काम करवाने के लिए अधिक समय लिया गया और साथ ही कम मजदूरी दी गई। 17.80 प्रतिशत श्रमिकों से डरा धमका कर कार्य लिया जाता है। कई श्रमिक 13.90 प्रतिशत ऐसे भी मिले जिनसे अवकाश के दिनों में भी काम लिया गया और मजदूरी नहीं दी गई तथा कइयों के वेतन में कटौती की गई। 12.56 प्रतिशत मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार, 11.46 प्रतिशत के साथ भेदभाव व दुराचार, वहीं 13.41 प्रतिशत श्रमिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए।

सारणी 1.2

शोषण से पीड़ित श्रमिकों का आयु समूह

क्र.	**सन्**	**18-24**	**24-30**	**30-36**	**36-42**	**42-48**	**48-54**	**54-60**	**कुल**
1	2013	11	26	13	6	5	2	1	64
2	2014	18	16	11	7	1	2	1	56
3	2015	13	19	12	5	6	3	2	60
4	2016	11	10	12	8	2	2	2	47
5	2017	15	15	9	2	5	2	3	51
6	2018	11	9	6	5	5	1	2	39
7	2019	13	15	5	6	2		1	42
8	2020	15	14	13	10	1	1	2	56
9	2021	14	15	6	6	2	1		44

10	2022	12	16	8	9	3	2	1	51
11	2023	18	15	11	10	7	1	1	63
कुल		**151**	**170**	**106**	**74**	**39**	**17**	**16**	**573**
प्रतिशत		**26.35**	**29.66**	**18.49**	**12.91**	**6.80**	**2.96**	**2.79**	**100**

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी: इससे स्पष्ट होता है कि श्रमिकों पर होने वाले शोषण से 18 वर्ष से लेकर 60 से भी अधिक आयु के स्त्री-पुरुष श्रमिक पीड़ित हुए है, जिसमें आयु समूह 24 से 30 वर्ष की आयु वाले सभी स्त्री-पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक पीड़ित पाई गई है जो 29.66 प्रतिशत है। सारणी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 24 से 30 वर्ष तक की आयु समूह के श्रमिक (स्त्री-पुरुष) शोषण का शिकार अधिक हुए है जिनका संयुक्त योग 573 है।

सारणी 1.3

पीड़ित श्रमिकों द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों में निर्णय

(ओरियंट पेपर मिल एवं नेपा मिल्स लि.)

क्र.	सन्	दर्ज मामलों की संख्या	दोष सिद्ध	बरी	राजीनामा	विचाराधीन
1	2013	70	1	10	1	58
2	2014	51	6	9	2	34
3	2015	60	11	8	3	38
4	2016	48	8	6	2	32
5	2017	54	7	11	5	31
6	2018	42	8	22	2	10
7	2019	53	11	29		13
8	2020	54	12	28	5	9
9	2021	46	9	23	4	10
10	2022	52	18	21	3	10
11	2023	75	15	26	5	29
कुल		605	106	193	32	274
प्रतिशत		100	17.52 %	31.90 %	5.28 %	45.28 %

स्त्रोत - व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

सारणी: सन् 2013 से 2023 तक 605 मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें 17.52 प्रतिशत व्यक्ति दोषी पाए गए। 193 व्यक्ति (31.90%) बरी हुए। 32 व्यक्ति (5.28%) ने राजीनामा किया तथा 274 मामलों का विचाराधीन होना न्याय प्रणाली की शिथिलता को प्रदर्षित करता है।

उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन- "शोधकर्ता ने पेपर मिलों में श्रमिकों की शोषणात्मक स्थिति का अध्ययन" शोध पत्र से संबंधित पूर्व में कुछ शोधकर्ताओं द्वारा शोध कार्य किये गए है जिसका संक्षेप में पुनरावलोकन किया गया हैः-

1. सिद्दीकी डॉ. शाहेदा, गुप्ता दीपिका (2018) - शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र में कार्यरत् श्रमिकों की प्रमुख समस्या एवं निदान के विषय में अपने सुझाव दिये है।
2. पुलियम, मार्क एस (2019) इन्होंने अपने शोध प्रबंध में "श्रम का शोषण और अन्य संघ मिथक" में नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच संबंध को अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है।
3. ली. यिबो (2023) शोधकर्ता ने "कारखाना उद्योग में महिला सषक्तिकरण और बढ़ती महिला शोषण का एक अध्ययन" शोध पत्र में महिला श्रमिकों की संख्या उद्योगों में बढ़ना वरदान एवं अभिशाप दोनों माना है। उद्योगों में महिलाओं का बढ़ना देश की आर्थिक प्रगति में वृद्धि होती है, दूसरे पत्र में महिलाओं के हिंसा, शोषण उत्पीड़न आदि उनके लिए अभिशाप है। शोधकर्ता ने उद्योगों में महिला कार्यबल का बढ़ना शोषण की तुलना से अधिक सशक्त हो रही है।
4. देसाई, किरण (2020), शोधकर्ता ने शोषण और मुक्ति, सूरत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों का केस अध्ययन शोधपत्र में महिला श्रमिकों को सभी गतिविधियों में शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दायित्व का उनके कार्यभार को बढ़ा देती है।
5. डॉ. अंजनी कुमार तिवारी (2021) आदिवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और भर्ती प्रथाओं का अध्ययन, GJMS ISSN:2348-0459, VOLUM 9, FEB 2020।
6. लैडेलियस, टॅस्टन (1965) अपने शोधग्रंथ श्रमिक, नियोक्ता और सरकारें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1919-1964 में प्रतिनिधिमंडलों और समूहों का एक तुलनात्मक अध्ययन। स्टॉकहोम: स्टैट सवेटेंस्काप्लिगा इंस्टीटूशन 1965, पृ. 553।
7. सैनी, देवी, एस (2010), ठेका श्रम अधिनियम 1970 मुद्दे और चिंताए। इंडियन जर्नल आॅफ इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, पेज नं. 32-44।
8. बनर्जी, अभिजीत और दत्ता, सौगतो, ऐथिल (2009), दिल्ली में श्रम बाजार में भेदभाव, एक क्षेत्र प्रयोग से साक्ष्य तुलनात्मक अर्थषास्त्र का जर्नल। खण्ड 37, अंक 1, मार्च 2009, पृष्ठ 14-27।

शोध परिकल्पनाः-

शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित परिकल्पनाएं की गई है-

शून्य परिकल्पना- H0- पेपर मिलों में श्रमिकों से पेरणात्मक तरीके से कार्य कराया जाता है।

वैकल्पित परिकल्पना- H1-पेपर मिलों में अनुबंध आधारित श्रमिकों का शोषण हिंसा उत्पीड़न तथा धर्म, जाति का भेदभाव किया जाता है।

निष्कर्षः-

वर्तमान समय में जिस प्रकार कार्य एवं कार्यबल की आवश्यकता पड़ रही है उसे देख कर लगता है कि श्रमिक की महत्वा हमेशा बनी रहेगी। श्रमिकों से कार्य लेने के लिए उनको मानसिक एवं शारीरिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाना होगा, उनको किसी भी प्रकार से शोषणात्मक स्थिति का शिकार नहीं होने देना है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक श्रम शक्ति बदल रही है। औद्योगिक श्रमिंकों के ऊपर मानसिक शोषण करना, औद्योगिक स्थल के लिए घातक (खतरनाक) साबित होता है वे मानसिक रूप से मजबूत एवं स्थिर नहीं हो पाते है। प्रेरणा और अभिपे्ररणा स्थिति से श्रमिको का सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षित समाज की कल्पना करने के लिए हमें श्रमिकों की शिक्षा के लिए भी प्रयासरत करना चाहिए। शोषणनात्मक स्थिति को समाप्त करने के लिए अनुबंध आधारित श्रमिक असंगठित श्रमिकों जितना ज्यादा हो सके उनकांे प्रोत्साहित करना चाहिए प्रोत्साहन का तरीका कुछ भी हो सकता है जैसे- बोनस, अवकाश में वेतन (मजदूरी) कार्य की महत्ता किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं आदि।

सुझावः-

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित सुझाव की बातें लिखी है-

1. श्रमिकों के कार्य को महत्व देना चाहिए।
2. श्रमिकों के ऊपर किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव नहीं डालना चाहिए।
3. औद्योगिक श्रमिकों को अपने-अपने फील्ड से संबंधित शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए।
4. औद्योगिक स्थल में श्रमिक संवाद या श्रमिक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए जिससे उनको कार्य में और प्रगति का मौका मिल सकें।
5. नियोक्ता और श्रमिकों का संबंध मधुर होना चाहिए विवाद की स्थिति में नियोक्ता और श्रमिक संघ दोनों मिलकर पहल करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः-

शोधपत्र

1. सिद्दीकी, डॉ. शाहेदा, गुप्ता दीपिका (2018) कालीन में कार्यरत श्रमिकों की प्रमुख समस्या एवं निदान, IJSREST, Valye-4, ISSUE-7, Print ISSN 2395-1990।
2. पुलियम, मार्क एस (2019) श्रम का शोषण और संघ मिथक, The Independent Review a journey of politics economy, खण्ड (Value) 24, क्रमांक-3, शीतकालीन 2019-20।
3. देसाई, किरन (2020) शोषण और मुक्तिः सूरत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक एक अध्ययन Sage journals value 50, issue-1।
4. विभिन्न समाचार पत्र एवं वेबसाइट जैसे Goggle.com, www.labour.mp.gov.in आदि।
5. ली. यिबो (2023) कारखाना उद्योग में महिला सषक्तिकरन और बढ़ती महिला शोषण का अध्ययन, साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेषन, 2023, ISSN 2165-4328।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

वेबसाईट

1. www.labour.mp.gov.in
2. www.india.gov.in

समाचार पत्र

1. पत्रिका
2. हरिभूमी
3. राज एक्सप्रेस

म.प्र. शासन श्रम विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19।